भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1387

उत्तर देने की तारीख: 01.07.2019

नई शिक्षा नीति

1387. श्री दीपक बैजः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नई शिक्षा नीति के प्रारूप के अंतर्गत निजी स्कूलों को फीस ढांचे को निर्धारित करने की आजादी प्रदान की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त निर्णय से व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिलने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप देश में शिक्षा महंगी होगी; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ) : डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति ने दिनांक 31 मई, 20019 को मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मसौदा रिपोर्ट में निष्पक्ष, समतामूलक एवं मानवीय समाज के निर्माण के साथ-साथ गुणवत्ता और समानता के वातावरण के आधार पर शिक्षा प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव किया है। मसौदा एनईपी में फीस में मनचाही वृद्धि सहित अभिभावकों और समुदायों को अधिक ब्याज वाली कमर्शियल प्रक्रियाओं से बचाने के साथ-साथ जहां शिक्षा की अच्छी जनहित प्रकृति को स्वीकार किया जाता है वहीं गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए निजी लोक हितैषी प्रयासों को भी स्वीकार किया जाता है।

मसौदा एनईपी 2019 को जनता, भारत सरकार के मंत्रालय और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों से सुझाव/टिप्पणी प्राप्त करने के लिए एमएचआरडी की वेबसाइट और innovate.mygov.in पर अपलोड किया गया है। सरकार सभी हितधारकों के इनपुट्स/सुझावों और टिप्पणियों पर विचार करने के बाद ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देगी।

*****